सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 381 राँची, बुधवार, 17 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

19 सितम्बर, 2024

विषयः- मिशन शक्ति अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित "पालना योजना" के क्रियान्वयन की स्वीकृति।

ज्ञापांकः-07/म०स०-पालना-96/2024-2299-- महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक समग्र एवं समेकित योजना "मिशन शक्ति" का क्रियान्वित है। इसके तहत् "संबल" तथा सामर्थ्य घटक कार्यक्रमों के तहत् विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशांक WW-23/1/2021-WW, दिनांक- 14.07.2022 के माध्यम से विस्तृत मार्ग निर्देश निर्गत है। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति का संचालन पन्द्रहवीं वित्त आयोग की अवधि यथा-वर्ष-2021-2026 की अवधि हेतु कार्यान्वित कराया जाना संसूचित है ।

2. पालना (Creche)

(a) महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर सरकार की निरंतर पहल के परिणामस्वरूप उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और अधिक से अधिक महिलाएं अब लाभकारी रोजगार में हैं, बढ़ते औद्योगीकरण और शहरी विकास के कारण शहरों की ओर पलायन बढ़ गया है। पिछले कुछ

दशकों में एकल परिवारों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, ऐसी कामकाजी महिलाओं के बच्चे, जिन्हें पहले काम पर रहने के दौरान परिवारों से समर्थन मिलता था, अब उन्हें डे केयर सेवाओं की आवश्यकता है जो बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो बच्चे अपनी दादी-नानी और परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षित गोद में बड़े होते थे, उन्हें अब असुरक्षित और उपेक्षित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए महिलाओं को उनकी अनुपस्थिति में अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। जब माताएँ काम पर हों तो छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल और अन्य सेवाओं के मामले में सहायता प्रदान करना आवश्यक हो गया है। छोटे बच्चों के लिए प्रभावी डे केयर आवश्यक और लागत प्रभावी निवेश है क्योंकि यह माताओं और छोटे बच्चों दोनों को सहायता प्रदान करता है। उचित डे-केयर सेवाओं की कमी अक्सर महिलाओं को बाहर जाकर काम करने से रोकती है। इसलिए, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेवाओं/क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच की तत्काल आवश्यकता है ।

(b) कामकाजी माताओं को अपने बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा देने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पालना योजना के माध्यम से डे-केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। क्रेच सेवाएं बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक रूप देती हैं जिन्हें अब तक घरेलू काम का हिस्सा माना जाता था ।

(c) पालना का उद्देश्य बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण क्रेच देखभाल सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करना है, जिससे अधिक माताओं को लाभकारी कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। उपर्युक्त प्राथमिक उद्देश्य के अलावा, घटक का एक अन्य उद्देश्य योजना द्वारा क्रेच सुविधाओं की स्थापना के संबंध में मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 11ए में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करना शामिल है ।

(d) इस उद्देश्य के लिए प्रशासी विभाग द्वारा राज्य के श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के साथ मिलकर एक एप्लिकेशन/पोर्टल होस्ट किया जायेगा, ताकि प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर पंजीकरण करने और क्रेच के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा मिल सके। कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 21 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिष्ठानों द्वारा गैर-अनुपालन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल में प्रावधान शामिल करने की भी परिकल्पना की गई है ।

(e) लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न अधिनियम और नियम क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 11 ए के अनुसार 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच की आवश्यकता होती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 48 के अनुसार 30 से अधिक महिला श्रमिकों वाली फैक्टरियों के लिए क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य करती है। बागान श्रम अधिनियम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 भी नियोजित महिलाओं की संख्या के

आधार पर क्रेच प्रावधान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII निर्दिष्ट करती है कि कंपनियां लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गतिविधियां चला सकती है ।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में योजना का क्रियान्वयन निम्नवत् किया जायेगा:-

(i) केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत् पालना योजना का कार्यान्वयन अगले आदेश तक के लिए संचालन किया जायेगा ।

(ii) योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गनिर्देशांक- WW–23/1/2021–WW, दिनांक- 14.07.2022 एवं समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में के अनुपालन में किया जायेगा ।

(iii) आंगनबाड़ी-सह-क्रेच का संचालन, बच्चों की देखभाल, वस्तु की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं पोषण, क्रेच कर्मियों के कार्य एवं जिम्मेवारी तथा क्रेच से संबंधित सभी रिकार्ड सहित अन्य कार्य भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशिका के अनुसार किया जायेगा ।

(iv) योजना के तहत, सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज, जैसे नींद की सुविधा सहित डे केयर सुविधाएं, 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक विकास और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा, पूरक पोषण (स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाना है), मिशन पोषण 2.0 के साथ विकास निगरानी और स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण प्रदान किया जाएगा ।

(v) क्रेच सुविधा 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान की जाएगी। आदर्श रूप से क्रेच सुविधा में बच्चों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। क्रेच कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम योग्यता बारहवीं कक्षा (इंटरमीडिएट) और क्रेच सहायकों के लिए दसवीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) होगी। यदि इन योग्यताओं वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है। हालाँकि, किसी भी मामले में, कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए योग्यता क्रमशः दसवीं और सातवीं कक्षा से कम नहीं हो सकती है। नियुक्ति के समय दोनों श्रेणियों के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष होनी चाहिए। देखभाल के मानकों को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से एसओपी जारी किया गया है ।

(vi) क्रेच एक सुरक्षित स्थान पर स्थित होगा जो स्वागत योग्य और बच्चों के अनुकूल हो। बच्चों के घरों के पास या माताओं के काम के स्थान के पास (दूरी 1/2 - 1 किमी पर) क्रेच बनाना आदर्श है ताकि अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए आसानी से आ सकें। आपातकालीन स्थिति में माता-पिता से संपर्क किया जा सकता है, और बच्चे को घर से लेना, लाना या भेजना आसान रहे। यदि कोई बच्चा लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो क्रेच कार्यकर्ता स्वयं जाकर उसके घर जाकर बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। जहां तक संभव हो क्रेच का वातावरण बच्चे के घर के वातावरण के समान होगा और समुदाय की जीवनशैली को भी प्रतिबिंबित करेगा ।

(vii) मिशन पोषण 2.0 के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्रेच सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्र में जगह का उपयोग बहुउद्देश्यीय तरीके से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, खेल के क्षेत्र को कुछ दरी और चटाई बिछाकर बच्चों के लिए अस्थायी सोने की जगह में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के आयोजन में सुविधा होगी। गर्मियों में, बाहरी स्थान में साफ और सुरक्षित छायादार क्षेत्र हो सकता है ।

(viii) यदि कोई आंगनबाड़ी सह क्रेच एक ही परिसर में नहीं है, तो बच्चों की उचित देखभाल के लिए पर्याप्त कमरा, रसोईघर, शौचालय, पानी की सुविधा, खेल का मैदान आदि उपलब्ध/व्यवस्था कराई जायेगी। सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन और दोपहर के नाश्ते के लिए सभी पोषण संबंधी सहायता संबद्ध/Mother आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी। क्रेच हेल्पर, क्रेच कार्यकर्त्ता की मदद से भोजन तैयार करेगा और परिसर की उचित स्वच्छता बनाए रखेगा। हालॉकि, राज्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्य को परिभाषित कर सकते हैं। विकास निगरानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र में दी जाने वाली अन्य सभी सुविधाएं और सहायता की व्यवस्था भी संबद्ध/Mother आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा की जाएगी। संबद्ध/Mother आंगनबाड़ी केन्द्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होगी और क्रेच हेल्पर आंगनबाड़ी सह क्रेच केन्द्रों में उपरोक्त सभी सुविधाओं की व्यवस्था करने में उसकी सहायता करेगी ।

(ix) केंद्र स्वच्छ, अच्छी रोशनी वाला और पर्याप्त वेंटिलेशन वाला होगा। क्रेच में जहां बिजली की आपूर्ति उपलब्ध है, वहां एक पंखा भी लगाया जाएगा। यदि विद्युत आपूर्ति अनियमित/नहीं है; इन्वर्टर/सौर उर्जा लगाने का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र में सुरक्षित एवं नियमित पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र एक वाटर फिल्टर/प्यूरीफायर स्थापित करेगा, जिसे नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर पानी की कमी है, वहां पानी के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आदर्श रूप से 300 लीटर क्षमता का एक टैंक स्थापित किया जाएगा ।

(x) केंद्र में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित बाल अनुकूल शौचालय उपलब्ध होगा। पानी की सुविधा, साबुन, साफ कपड़ा/तौलिया, कचरा बिन, निचले स्तर पर वॉश बेसिन/सिंक और एक निकास पंखा के साथ एक स्वच्छ, बच्चों के अनुकूल शौचालय केंद्र का हिस्सा होगा। पानी का नल ऐसी ऊंचाई पर लगाया जाएगा, जिसका उपयोग बच्चे स्वतंत्र रूप से कर सकें। क्रेच में फिनाइल, कीटाणुनाशक, झाड़ू और ब्रश, कूड़ेदान, कचरा डिब्बे आदि जैसी सफाई सामग्री की नियमित आपूर्ति होगी। क्रेच में सेवाओं में सुधार और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा ।

(xi) मिशन पोषण 2.0/मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त पोषण मूल्य होगा। चूंकि बच्चा क्रेच में सात से साढ़े सात घंटे तक रहता है, इसलिए तीन भोजन यानी सुबह में एक नाश्ता, दोपहर के आसपास एक भोजन (गर्म पका हुआ) और शाम में एक नाश्ता प्रदान किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर छोटे बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जायेगा। बच्चों को प्रतिदिन दिये जाने वाले भोजन में विविधता होगी। भोजन, शिशुओं और बच्चों दोनों की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा। इसके

लिए, कार्यकर्ता को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त पौष्टिक तैयारियों के बारे में प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाएगा और उन्हें उचित देखभाल और स्वच्छता के साथ खाना बनाना होगा ।

(xii) केंद्र में खाना पकाने की पर्याप्त सुविधाएं, खाना पकाने के बर्तन, बच्चों को खिलाने के लिए बर्तन उपलब्ध होंगे, जिन्हें उपयोग से पहले और बाद में साफ किया जाएगा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए खाना पकाने का क्षेत्र ऐसे स्थान पर होगा जो बच्चों के गतिविधि क्षेत्र से दूर हो। खाना पकाने के बुनियादी उपकरण जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर या पारंपरिक चूल्हा; भोजन उपकरण; भंडारण डिब्बे और बक्से उपलब्ध किया जायेगा और सुरक्षित रूप से रखा जाएगा ।

(xiii) क्रेच में पंजीकृत सभी बच्चों की स्वास्थय जांच प्रति तिमाही कम से कम एक बार सरकारी अस्पतालों के पंजीकृत चिकित्सक/डॉक्टरों द्वारा की जायेगी। केंद्र को हर समय बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और दवा किट से सुसज्जित होगा, जिसमें बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी, खांसी और सर्दी, दस्त, कान में दर्द, आंखों में संक्रमण, पेट में दर्द, कृमि संक्रमण आदि जैसी सामान्य बीमारियों के लिए बाल चिकित्सा दवाएं शामिल हों। मामूली चोटों के लिए बैंड-एड्स/पट्टियां, रूई और कीटाणुनाशक, ओआरएस पैकेट, कैंची, थर्मामीटर और एंटीसेप्टिक मलहम भी दवा किट का हिस्सा होगा ।

(xiv) स्थान के आधार पर क्रेच का समय लचीला होना चाहिए। क्षेत्र की अधिकांश माताओं के कार्य शेड्यूल के अनुसार महीने में 26 दिन और प्रति दिन साढ़े सात (7-1/2) घंटे खुले रहेंगे ।

(xv) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम में एक संशोधन अधिसूचित किया है जिसमें कहा गया है कि पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच की सुविधा होगी ।

4. सामर्थ्य अन्तर्गत योजना का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकार की 60:40 अनुपात की भागेदारी के साथ की जाएगी, अर्थात् 60% भागेदारी केन्द्र सरकार की होगी एवं 40% राज्य सरकार की होगी ।

5. योजनान्तर्गत संचालित पालना केन्द्रों में निम्न वर्णित मानव संसाधन की व्यवस्था की जायेगीः-

a. Human Resource @ Every Palna

Sl.	Position	No. of Posts	Consolidated Remuneration/month/staff	Annual Expenditure (Rs.)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(col 3* col 4*12)*
1.	Creche Worker	01	5500	66000
2.	Creche Helpers	01	3000	36000
3.	Docotor Visit per Quarter or need basis	01	Through ICDS	
Aanganwadi Cum Crech				
4.	Aanganwadi Worker	01	1500	18000
5.	Aanganwadi Helpers	01	750	9000
Total		**05**	10750	129000

b. आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिका से क्रमशः Aanganwadi Worker तथा Aanganwadi Helpers का कार्य लिया जायेगा। क्रेच वर्कर तथा क्रेच हेल्पर की सेवा वाह्यस्रोत से प्राप्त की जायेगी। कर्मियों की सेवा Outsource करने वाली संस्थाओं का निविदा के माध्यम से

चयन कर उनसे उपर्युक्त कर्मियों को Outsource किया जायेगा। उक्त कार्य के विरुद्ध कंडिका- 5 (a) में अंकित मानदेय भुगतेय होगा ।

एतद् हेतु इन सेवाओं संबंधी क्रय एवं आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं प्रावधानित नियमों के अनुपालन में प्राप्त किया जायेगा ।

c. कर्मियों की सेवा Outsource करने वाली एजेन्सियों को भुगतेय वस्तु एवं सेवा कर (GST), जो उपर्युक्त आकलित व्यय के अतिरेक होगी, की भुगतान तदेन प्रभावी दर पर राज्य मद (100%) से की जायेगी ।

यद्यपि योजना का कार्यान्वयन SNA Module के अनुपालन में कराई जायेगी, अतएव राज्य मद से की जाने वाली एतद् अतिरेक व्यय का X-Flagging कर व्यय कराई जायेगी। एतद् संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जायेगी ।

d. योजना का कार्यान्वयन SNA मापदंडों के आलोक में किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन संबंधी समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कराया जायेगा ।

6. उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं अनुभव निम्नवत् होगा :-

SI.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	Creche Worker	i. The minimum qualification should be Class XII (intermediate). ii. In case any suitable person with thisqualifications is not available, relaxation may be given by the State Government/District Administration. However, in any case, the qualifications may not be less than Class X. iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
2.	Creche Helpers	i. The minimum qualification should be Class X (Matriculation). ii. In case any suitable person with these qualifications is not abailable, relaxation may be given by the State Government/District Administration. However, in any case, the qualification may not be less than Class VII. iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
3.	Doctor Visit per Quarter or need basis	Can be outsourced to any doctor having medical degree from a Government recognized institution on per visit/per person honorarium basis.
Aanganwadi Cum Crech		
4.	Aanganwadi Worker	i. The minimum qualification should be Class XII (intermediate). ii. In case any suitable person with this qualification is not available, relaxation may be given by the State Government/ District Administration. However, in any case, the qualifications may not be less than Class X. iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.
5.	Aanganwadi Helpers	i. The minimum qualification should be Class X (Matriculation). ii. In case any suitable person with this qualification is not available, relaxation may be given by the State Government/ District Administration. However, in any case, the qualifications may not be less than Class VII. iii. The age limit will be 35 years at the time of engagement.

7. उपर्युक्त पदों संबंधी सेवाओं की क्रय एवं आपूर्ति प्राप्ति के क्रम में सेवा प्रदाता एजेन्सियों को सेवा शुल्क इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार के नियमों/प्रावधानों के आलोक में भुगतेय होगा। क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया के क्रम में एतद् संबंधी शुल्क नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता कम्पनियों के मध्य Negotiable होंगे ताकि इस मद पर व्यय अल्पतम हो ।

एतद् शुल्क सहित कर्मियों के पारिश्रमिकी पर अधिकतम व्यय कंडिका-5 (a) के तहत् होगा।

8. उपर्युक्त सभी पद पूर्ण रुप से अस्थाई एवं योजना अवधि तक होंगे। योजना समापन अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी प्रकार के संशोधन पर पद की प्रकृति, सृजित संख्या, पारिश्रमिकी भुगतान सहित अन्य शर्तें यथा समाप्त/संशोधित होंगे। एतद् क्रम में सेवा नियमितीकरण संबंधी आपूर्तिकर्ताओं/ कर्मियों के किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा ।

9. योजनान्तर्गत संचालित इन केन्द्रों के सुचारू कार्यान्वयन पर व्यय निम्नवत् की जायेगी:-

a. Costing Norms for each Palna]

(राशि रु0 में)

Sl.	**Item Head**	**Monthly Proposed Cost Norms**	**Annual Cost**
1.	One Time Establishment Cost		50000
		Total	**50000**

1.	Anganwadi Worker Allowance	1500	18000
2.	Anganwadi Helper Allowance	750	9000
3.	Honorarium for Creche Worker	5500	66000
4.	Honorarium for Creche Helper	3000	36000
5.	Additional Supplementary Nutrition	4375	52500
6.	ECCE Study Material	625	7500
7.	Doctor Visit		Through ICDS
8.	Rent Component	10000	120000
9.	Yearly grant for replacement/ purchase of equipment/sports material		10000
10.	Creche Worker and Helper Training		Through ICDS/NIPCCD
11.	Medical kit		1000
12.	Other Expenses	1300	15600
Total		**27050**	**335600**

10. भारत सरकार द्वारा कुल 1024 आँगनबाड़ी-सह-क्रेच की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी व्यय विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि रु0 में)

क्र०	**जिला का नाम**	**आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या**	**One time Establishment cost for 1024 Palna C * 50000**	**vkxuckMh&Ig&Øp d Ipkyu ij okf"kd 0;; C * 335600**
a	b	c	d	e
1.	बोकारो	119	5950000	39936400
2.	चतरा	23	1150000	7718800
3.	देवघर	100	5000000	33560000
4.	धनबाद	100	5000000	33560000
5.	दुमका	22	1100000	7383200
6.	पूर्वी सिंहभूम	100	5000000	33560000
7.	गढ़वा	24	1200000	8054400
8.	गिरीडीह	102	5100000	34231200
9.	गोड्डा	28	1400000	9396800
10.	गुमला	31	1550000	10403600
11.	हजारीबाग	32	1600000	10739200
12.	जामताड़ा	22	1100000	7383200
13.	खूँटी	27	1350000	9061200
14.	कोडरमा	22	1100000	7383200
15.	लातेहार	23	1150000	7718800
16.	लोहरदगा	26	1300000	8725600
17.	पाकुड़	22	1100000	7383200
18.	पलामू	22	1100000	7383200
19.	रामगढ़	14	700000	4698400

20.	राँची	100	5000000	33560000
21.	सरायकेला-खरसावाँ	22	1100000	7383200
22.	सिमडेगा	21	1050000	7047600
23.	पश्चिमी सिंहभूम	32	1100000	7383200
कुल		**1024**	**51200000**	**343654400**
			कुल व्यय (d+e)	**Rs. 39,48,54,400**

11. जिलों के उपायुक्त द्वारा संबंधित सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित कर जिले के आंगनबाड़ी सह क्रेच में चिकित्सक का दौरा उपलब्ध कराया जायेगा ।

12. केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में यदि केन्द्रांश में परिवर्त्तन किया जाता है तो परिवर्त्तन के फलस्वरुप राजकोष पर पड़ने वाले व्यय-भार के आलोक में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर योजना का संचालन कराया जायेगा ।

13. भविष्य में गुणोत्तर व्यवस्था प्रतिस्थापन हेतु उपर्युक्त प्रावधानों में वित्त विभागीय सहमति से सकारात्मक संशोधन किया जा सकेगा ।

14. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश अधीन रु॰ 3,26,98,000/- तथा राज्यांश अधीन रु॰ 2,17,98,000/- अर्थात् कुल रु॰ 5,44,96,000/- का बजटीय उपबंध प्राप्त है। शेष राशि का उपबंध आगामी अनुपूरक के माध्यम से की जायेगी ।

15. योजना कार्यान्वयन पर व्यय हेतु राशि की निकासी केन्द्रांश, राज्यांश एवं अतिरेक व्यय अंश (निर्दिष्ट Flagging के) के निम्नवत् शीर्षों:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-AI नेशनल क्रेच स्कीम;

16. राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा प्रदत्त सशर्त सहमति के आलोक में विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए आगामी समय में आवश्यकतानुरुप समुचित बजटीय प्रावधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

17. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 06.09.2024 की बैठक की मद संख्या-09 में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

18. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 381 - 50